अध्याय 2 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा नमूने को शामिल करने वाले लेखापरीक्षा दृष्टिकोण नीचे दिए गए हैं:

2.1 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) करने के उद्देश्य थे:

- यह जांचना कि क्या किसी निर्धारिती की संपत्ति पर लागू धारा 281बी के मौजूदा प्रावधानों में नीतिगत या प्रक्रियात्मक अंतराल हैं; और
- किसी निर्धारिती की संपत्ति के संबंध में व्यक्तिगत मामलों में अधिनियम की धारा 281बी के प्रावधानों के अनुपालन या निरंतर लागू करने की सीमा की जांच करना।

2.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत

लेखापरीक्षा के मानदंड मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 281बी के प्रावधानों और बोर्ड के सहायक परिपत्रों/निर्देशों से लिए गए थे। एसएससीए के लिए निर्धारित दो लेखापरीक्षा उद्देश्यों को संबोधित करने के लिए, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में वित्तीय वर्षों (वि.व.) 2017-18 से 2019-20 के दौरान निर्धारण/पुनर्निर्धारण कार्यवाही के दौरान शुरू की गई 281बी प्रक्रिया शामिल थी, जिसमें निर्धारण के बाद की स्थिति भी शामिल थी। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार जुलाई 2022 तक के विवरणों को अद्यतन किया गया था।

2.3 लेखापरीक्षा नमूना

देश भर में प्रचलित कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण यात्रा और अन्य प्रतिबंधों को दृष्टिगत रखते हुए, नमूना चयन प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय) [प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)] के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निर्धारण इकाइयों की धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की के मामलों तक सीमित था, जो नवंबर 2020 और मार्च 2021 के मध्य लेखापरीक्षा द्वारा शामिल किए गए थे।

केंद्रीय सर्कलों के निर्धारण अधिकारी को उस निर्धारिती के मामले में निर्धारण करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो अधिनियम की धारा 132[6] के प्रावधानों के अनुसार तलाशी और जब्ती के अधीन है। कुल 354 मामलों की पहचान की गई, जहां वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान 14 राज्यों[7] को शामिल करते हुए 18 प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय) के क्षेत्राधिकार में 72 केंद्रीय सर्किलों के निर्धारण प्रभार रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 281बी के अंतर्गत आदेश जारी किए गए थे, जिन्हें लेखापरीक्षा जांच के लिए चुना गया था।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित संबंधित निर्धारण इकाइयों द्वारा लागू धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की के मामलों का वर्ष-वार प्र.सीआईटी-वार विवरण नीचे तालिका संख्या 02 में दिया गया है:

तालिका संख्या 02: अनंतिम कुर्की के लिए चयनित मामलों की संख्या का विवरण - केंद्रीय आयुक्तालय-वार।

प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार	निर्धारण अधिकारियों की संख्या	281बी मामलों की संख्या (वित्त वर्ष के अनुसार)			
		2017-18	2018-19	2019-20	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, दिल्ली	4	4	2	5	11
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, दिल्ली	4	20	9	1	30
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, दिल्ली	6	4	11	26	41
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल	2	5	21	0	26
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता	3	0	2	5	7
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता	1	0	0	6	6
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, मुंबई	4	5	2	2	9
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, मुंबई	5	11	1	0	12
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-4, मुंबई	4	5	6	5	16
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई	6	9	13	12	34
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई	4	3	13	18	34
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), कोच्चि	2	3	4	0	7
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु	10	13	3	14	30

[6] धारा 132 के तहत, आयकर विभाग की जांच शाखा का अधिकृत अधिकारी किसी भी इमारत, वाहन आदि में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है और निर्धारित परिस्थितियों में किसी करदाता के बही-खाते, बुलियन आदि जब्त कर सकता है, जहां निर्धारती संदिग्ध रूप से कर अपवंचन कर रहा हो।

[7] दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और चंडीगढ़।

तालिका संख्या 02: अनंतिम कुर्की के लिए चयनित मामलों की संख्या का विवरण - केंद्रीय आयुक्तालय-वार।					
प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार	**निर्धारण अधिकारियों की संख्या**	**281बी मामलों की संख्या (वित्त वर्ष के अनुसार)**			
		2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**कुल**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद	7	4	3	18	25
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापट्टनम	2	3	5	0	8
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद	5	20	9	4	33
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), राजस्थान	1	0	3	0	3
प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), चंडीगढ़	2	4	14	4	22
कुल	**72**	**113**	**121**	**120**	**354**

2.4 लेखापरीक्षा पद्धति

(i) मुख्य कार्यालय द्वारा दिसंबर 2020 के दौरान क्षेत्राधिकार में प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) के साथ एक प्रवेश सम्मेलन किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों और कार्यप्रणाली को समझाया गया था। लेखापरीक्षा पद्धति में लेखापरीक्षा जांचसूची में आंकड़ों का प्रग्रहण करना और क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान प्रश्नावली के साथ लेखापरीक्षा मांगों के माध्यम से अपेक्षित जानकारी एकत्र करना शामिल था।

(ii) एसएससीए रिपोर्ट का मसौदा 10 जून 2022 को मंत्रालय को जारी किया गया था। लेखापरीक्षा सिफारिशों पर उत्तर और दर्शाए गए मामलों के संबंध में आंशिक उत्तर जुलाई 2022 और सितंबर 2022 के बीच प्राप्त हुए थे। रिपोर्ट में शामिल मुद्दों और मंत्रालय से प्राप्त उत्तरों पर चर्चा करने के लिए मंत्रालय के साथ 28 सितंबर 2022 को एक निकास सम्मेलन किया गया था। मंत्रालय के उत्तर को रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया था।

2.5 अभिलेखों को प्रस्तुत न करना

इन 354 मामलों में से चार मामलों (प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम प्रभार के अंतर्गत केन्द्रीय सर्कल-1, भुवनेश्वर में निर्धारित तीन मामले और प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3 मुंबई प्रभार के अंतर्गत केन्द्रीय सर्कल 6(1), मुंबई में निर्धारित एक मामला) से संबंधित धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की

प्रक्रिया के संबंध में अभिलेख लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अलावा, चार गैर-प्रस्तुति मामलों में से, प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम प्रभार के अंतर्गत केन्द्रीय सर्कल-1, भुवनेश्वर के संबंध में तीन मामलों में, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा पूरा होने के बहुत बाद जुलाई 2022 में जानकारी का केवल एक भाग प्रदान किया गया था। मामले-वार विवरण **परिशिष्ट 4क** में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने इन मामलों में मूल्यांकन रिपोर्टों[8] के उद्धरण की भी मांग की जिसमें तलाशी के दौरान पाई गई बेहिसाब/अघोषित आय से संबंधित जानकारी और निर्धारिती के स्वामित्व वाली संपत्तियों के विवरण शामिल हों जिन्हें अनंतिम रूप से कुर्क किया जा सकता है। हालांकि, निर्धारण अधिकारियों ने लेखापरीक्षित 350 मामलों में से 217 मामलों के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्टों के उद्धरण उपलब्ध नहीं कराए जैसा कि **परिशिष्ट 4ख** में विस्तृत है।

2.6 आभार

हम धारा 281बी के अंतर्गत कुछ मामलों में अनंतिम कुर्की से संबंधित अभिलेखों और मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रस्तुति को छोड़कर(पूर्वोक्त पैरा 2.5 में कहा गया है), एसएससीए के संचालन से संबंधित आवश्यक अभिलेख और जानकारी प्रदान करके लेखापरीक्षा को सुविधाजनक बनाने में आयकर विभाग के सहयोग का आभार प्रकट करते हैं। इस कारण, लेखापरीक्षा इन मामलों में अनुपालन की सीमा की जांच करने को विवश थी।

[8] मूल्यांकन रिपोर्ट वह रिपोर्ट होती है जिसमें निर्धारिती की जांच की कार्यवाही होती है। संबंधित अधिकारी जब्त सामग्री के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट निर्धारण अधिकारी को भेजता है जो निर्धारण कार्यवाही शुरू करता है।